तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अशोक कुमार जैन महात्मा हाईस्कूल रोड, मैन बाजार रानी स्टेशन जिला पाली (राज.) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रानी प्रथम सूचना अपील संख्या :– 09/2021 जीसीएमएस नं. :– 2022/11 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

–: निर्णय :–

25/03/2022

1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 27.09.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रानी से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रानी ने जरिये पत्रांक/सू.अ./22/22/29 दिनांक 25.01.2022 व पत्रांक/सू.अ./22/50 दिनांक 28.02.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करने हेतु उनके कार्यालय के पत्रांक /सू.अ./2021/97 दिनांक 21.10.21 के लिखा जाकर अवगत करा दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करने के सम्बन्ध में अपीलार्थी अवगत कराया जा चूका है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रानी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। तथा वह रेस्पोडेंट के जवाब से संतुष्ट है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 25/03/2022 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

नमित मेहता
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली